# जिन विभागों का रिजेक्शन रेट कम है उन पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, अंबाला : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि समयबद्धता, जवाबदेही और पारदर्शिता ही राइट टू सर्विस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अधिसूचित सेवाओं में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को कम से कम 250 और अधिक से अधिक 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तीन बार जुर्माना लगने पर नौकरी से सेवामुक्त करने की भी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह जिस विभाग का रिजेक्शन रेट अधिक होगा, पर कार्रवाई का प्रावधान भी है। सेवा का अधिकार आयोग सात साल से काम कर रहा है, अब आठवें साल में चल रहा है, लेकिन केवल सात ही अपील आई हैं। अधिकारों के बारे में लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। वे एसडी कालेज अंबाला कैंट में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि सेवाओं से संबंधित यदि किसी भी विभाग द्वारा प्रार्थी को आवेदन करने के बाद जो एक्नालेजमेंट दी जाती है। उस पर यह भी सुनिश्चित करें कि प्रार्थी की

कार्यक्रम में शामिल मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता। • डीआइपीआरओ।

शिकायत का निपटान कितने समय में होगा। आयोग द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ पब्लिक की संतुष्टि के साथ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता से दिलवाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी देने का काम किया जाएगा।

मौके पर आयोग की सचिव मीनाक्षी राज, सचिव मीनाक्षी राज, डीसी विक्रम सिंह, एसएसपी हामिद अख्तर, एडीसी सचिन गुप्ता, एसडीएम हितेष मीणा, एसडीएम नीरज कुमार, एसडीएम गिरीश चावला, नगराधीश आंचल भास्कर, आरटीए गौरी मिड्डा, जीएम रोडवेज मुनीष सहगल, डीटीपी सविता जिंदल, डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह, डीएसपी राम कुमार, डीडीपीओ रेणू जैन आदि मौजूद रहे।

एसडी कालेज में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी व अन्य। • डीआइपीआरओ।